* संविधान में संशोधन की प्रक्रिया *

अनुच्छेद - 368

* संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसके अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन करती है।

* संविधान में संशोधन की कुल 3 प्रक्रियाएं दी गई है, इनमें 2. प्रक्रियाएं अनुच्छेद 368 में है तथा 1. इसके बाहर है।

* अनुच्छेद 368 में संशोधन की निम्न 2 प्रक्रियाएं दी गई है →

(i) संसद के विशेष बहुमत से संशोधन :→
संसद के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन इसी प्रक्रिया से होता है तथा विशेष बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत (50% +1 मत) अथवा सदन मे उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का ($\frac{2}{3}$) दो तिहाई बहुमत

(ii) संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे राज्यों के अनुमोदन से संशोधन :→

(iii) संसद के साधारण बहुमत से संशोधन :→
साधारण बहुमत से तात्पर्य सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यो का 50% +1 मत। *यह तीसरी प्रक्रिया अनु. 368 के बाहर है।

* अभी तक संविधान मे कुल 103 संशोधन हो चुके है इनमे से निम्न प्रमुख है →

प्रथम संशोधन 1951* → इसके द्वारा भूमि सुधार के प्रावधान किये गये तथा इसके लिये 9 अनुसूची बनाई गई है।

उ। वाँ संशोधन 1973 → इसके द्वारा 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा व विधानसभाओं की सदस्य संख्या को बताया गया तथा लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया तथा विधानसभा की सदस्य संख्या 190 से 200 किया गयी।

42 वाँ संशोधन 1976 → यह अब तक का सबसे बड़ा संशोधन है।

* इसे मिनी / लघु संविधान भी कहते है।
* इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता व अखण्डता शब्द जोड़े गये।
* इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गये।
* इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किया गया।
* इसके द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल की सलाह को मानने के लिये बाध्य कर दिया गया।
* इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोन की शक्तियो को सीमित कर दिया गया था तथा संसद को सर्वोच्च बनाया गया था।
* इसके द्वारा मूल अधिकारो पर नीति-निदेशक तत्वो को प्राथमिकता / सर्वोच्चता दी गई थी।
* इसके द्वारा शिक्षा, वन एंव पर्यावरण, पक्षी, मापतौल बाट आदि विषयों को राज्यसूची से हटाकर समवर्ती सूची मे जोड़ा गया।

* 44 वाँ संशोधन 1978 → इसके द्वारा सम्पति के मूलअधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया है।
* इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।
* इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह

को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह चाहे तो इसे एक बार पुनः विचार के लिये वापस भेज सकता है। परन्तु यदि सलाह दुबारा से पारित होकर आ जाती है तो राष्ट्रपति को उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ेंगे।

* 52 वाँ संशोधन 1985 ⇒ दल-बदल पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया व इसके लिए (इसे) 10वीं अनुसूची 10 वीं अनुसूची बनाई गयी।

* 61 वाँ संशोधन 1989 ⇒ इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।

* 70 वाँ संशोधन 1992 ⇒ इसके द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने व मत देने का अधिकार दिया गया।

* 74 वाँ संशोधन 1992
* 86 वाँ संशोधन 2002
* 91 वाँ संशोधन 2003
* 99 वाँ संशोधन 2014

* 100 वाँ संशोधन 2015 ⇒ इसके द्वारा भारत व बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान हुआ है।

* 101 वाँ संशोधन 2016 ⇒ इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) (Goods and Service Tax) के प्रावधान किये गये।

* 103 वाँ संशोधन 2019 ⇒ इसके द्वारा गरीब वर्गों को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया है।

प्रमुख संशोधन →

पहला संशोधन 1951 → अनु-15 में चौथा प्रावधान जोड़ राज्यों को सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग / ST / SC वर्ग के हित में कोई भी प्रावधान अधिकार दिए गए।

अनुच्छेद 19 — में संशोधन कर जमींदारी समाप्ति संवैधानिक बनाया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदी के आधार बदले। नागरिकों को कोई भी व्यवसाय / व्यापार का अधिकार दिया गया।

24वाँ संशोधन 1971 — अनु-13 व 368 में संशोधन से मौलिक अधिकारों सहित संविधान संशोधन संबंधी संसद के अधिकारों पर संशय दूर किए गए। राष्ट्रपति के लिए सरकार द्वारा भेजे गये संविधान संशोधन विधेयकों को मंजूरी देना जरूरी बनाया।

26 वाँ संविधान संशोधन — अनु-291 व 362 का खंडन जो गुप्त खजाने व पूर्व राजघरानों के विशेषाधिकारों से संबंधित था।

52 वाँ संविधान संशोधन 1985 → दसवीं अनुसूची में दल-बदल निरोधी कानून लाया गया।

61 वाँ संविधान संशोधन 1989 — अनुच्छेद 326 संशोधित कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई।

77 वाँ संशोधन 1995 → अनु-16 में प्रावधान 4-A से सरकारी नौकरियों में SC/ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया।

91वाँ संशोधन 2003 → लो.स में कुल संख्या बल के 15% व विधानसभा में संख्या बल के 12% मंत्री का प्रावधान किया।

99 वाँ संशोधन 2014 – सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से संबंधित
हालांकि 2015 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था।

101 वाँ संशोधन 2016 – इसके तहत जीएसटी लागू किया गया।

103 वाँ संशोधन अधिनियम 2019 → आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरी व शैक्षिक संस्थानों में दिया गया है।
→ अनुच्छेद 15(5) तथा अनुच्छेद 16(6) जोड़े गये हैं।

102 वाँ संविधान संशोधन द्वारा 2018 → OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
अनुच्छेद – 338 ख जोड़ा